चार माह में गंदगी फ़ैलाने वालों से 12 लाख 90 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला

जबलपुर 23 अगस्त। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। मण्डलों के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को जागरुक भी किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहां वहां गंदगी नहीं करने के लिए जागरूक किया जाता है। बार-बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

रेलवे द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई कुल चार माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 6,352 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 12 लाख 90 हजार 60 रूपये जुर्माना वसूला गया।

अकेले जुलाई माह में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 1869 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 03 लाख 84 हजार 150 रूपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाईश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

संख्या : पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/325/2025 दिनांक 23.08.2025

सम्माननीय संपादक, कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग प्रदान करें।

मुख्य जनसंपर्क अधिकार
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर